न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–49/2015–16

विनोद कुमार बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5.4.18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद विनोद कुमार, पिता स्व0 प्रभू लाल, सा0–सहदा, थाना–मालसलामी, जिला–पटना, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, अनुज्ञप्ति सं0 168/08 (रद्द) वार्ड सं0 71 ने अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी के आदेश ज्ञापांक 23(आ0) दिनांक 24.02.2016 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2011 की कंडिका–15 के अंतर्गत दिनांक 08.03.2016 को अपील आवेदन दाखिल किया है। दिनांक 21.02.2017 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, सुनवाई की अगली तिथि 05.10.2017 निर्धारित किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी के पत्र सं0 69 दिनांक 12.08.2017 प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C सं0 19851/16 विनोद कुमार बनाम राज्य सरकार का रिट दाखिल किया है। जिसमें शपथ–पत्र दायर करने की बातों का उल्लेख है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C सं0 19851/16 में दिनांक 09.08.2017 को पारित आदेश का अवतरण निम्नवत् है :– "Against that order petitioner has moved before the appellate authority vide appeal No. 49 of 2015-16 and the same pending for consideration. In such view of the matter. this Court directs, the Collector, Patna i.e. appellate authority to dispose of the appeal of the petitioner within a period of three months from the date of receipt/ production of a copy of the this order. if already not disposed of. With the aforesaid observation this writ petition is disposed of"	

अपीलकर्ता द्वारा अपील आवेदन में अंकित किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान अनुज्ञप्ति सं0 168/08 के धारक हैं। कंचन देवी एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा दायर परिवाद पत्र के आलोक में उनकी दुकान की जाँच वार्ड सं0 71 के आपूर्ति निरीक्षक एवं सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, प्रक्षेत्र–2 के द्वारा की गयी। इन पदाधिकारियों द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में निम्नलिखित तीन आरोप लगाए गए :–

(1) उक्त दुकान से सम्बद्ध–21 उपभोक्ताओं ने पुछताछ के दौरान ब्यान दिया है कि उनके राशन कार्ड में एक माह के बदले दो से तीन माह की प्रविष्टि कर दी जाती है।

(2) इन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की जांच के क्रम में राशन कार्ड पर आपूर्ति खाद्यान्न की मात्रा भी अंकित नहीं पायी गयी।

(3) जांच के समय बिक्रेता द्वारा बिक्री पंजी एवं कैशमेमो की मांग करने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रतिवेदित उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना के ज्ञापांक 61 दिनांक 13.01.2016 द्वारा अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपीलार्थी ने यह भी अंकित दिया है कि उप अनुभाजन पदाधिकारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2007 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नहीं है। पत्र सं0 206 दिनांक 11.02.2016 द्वारा विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन ने अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को अपीलकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई का निदेश दिया, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी के ज्ञापांक 141 दिनांक 17.02.2016 द्वारा उन्हें दो दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना, अपर जिला दण्डाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी हैं एवं उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया जाना उचित नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि उनके तीनों बिन्दुओ पर लगाये आरोप के सम्बन्ध में बिन्दुवार स्पष्टीकरण अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति सं0 168/08 को रद्द कर दिया गया है। अंत में अपीलकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा पारित

आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तापूर्वक सुना। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा कि विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी ने उक्त अनुशंसा को आदेश मानते हुए कार्रवाई की है। जिसमें उनका स्वंय का निर्णय अपेक्षित था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई ऐसे मामलों में इस सम्बन्ध में अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच प्रतिवेदन की प्रति भी अपीलकर्ता को स्पष्टीकरण के साथ उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। उनके द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को पुर्नबहाल करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक, पटना द्वारा कहा गया कि चूंकि अनुमण्डल पदाधिकरी ही अनुज्ञापन पदाधिकारी होते हैं, इसलिए विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना द्वारा अपीलार्थी के ऊपर लगे आरोप परिलक्षित होने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी को नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया। जहां तक उप अनुभाजन पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने की बात है। निरीक्षी पदाधिकारी होने के कारण वे इसके लिए सक्षम है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता की दुकान की जांच ग्रामीणों से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में करायी गयी। अपीलकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को स्पष्टीकरण भी समर्पित किया। परन्तु जाँच प्रतिवेदन की मांग नहीं की। उनका कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आरोपों की समीक्षा कर प्रमाणिकता के आधार पर ही अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध अपीलकर्ता का अपील आवेदन तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख के परिशीलन एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विवेचनोपरान्त ज्ञात होता है कि कंचन देवी एवं अन्य ग्रामीण जनता द्वारा विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन के कार्यालय में दायर परिवाद पत्र

के आलोक में अपीलकर्ता के दुकान की जाँच सम्बन्धित वार्ड सं0 71 के आपूर्ति निरीक्षक से करायी गयी। आपूर्ति निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर सम्बन्धित सहायक अनुभाजन पदाधिकारी से मंतव्य की माँग की गयी। सहायक अनुभाजन पदाधिकारी द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में उप अनुभाजन पदाधिकारी द्वारा विक्रेता को गठित आरोपों के संदर्भ में कागजात की माग की गयी। अपीलकर्ता का यह कथन कि विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को अनुशंसा भेजी गयी, तथ्य से परे है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राप्त परिवाद पत्र के जाँचोपरान्त प्रतिवेदित अनियमितताओं के आलोक में विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन के नियमानुसार कार्रवाई हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी को भेजा है।

अपीलकर्ता का यह कथन की उन्हें जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी, भी औचित्य से परे है, क्योंकि यदि उन्हें इसकी आवश्यकता थी, तो वे इसकी मांग अनुमंडल पदाधिकारी से स्पष्टीकरण समर्पित करने के पूर्व अथवा समर्पित करते समय कर सकते थे।

उपर वर्णित तथ्यों के आलोक सम्यक विचारोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन पटना के पत्र के आलोक में नियमानुसार अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण पूछते हुए सभी तथ्यों के विश्लेषण के उपरान्त स्व विवेक से मुखर आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है।

अतः अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

5/4/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

5/4/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।